रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-14022020-216164
CG-DL-E-14022020-216164

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 102] नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 14, 2020/माघ 25, 1941
No. 102] NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 14, 2020/MAGHA 25, 1941

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 फरवरी, 2020

सं. 14/2020–सीमा शुल्क

सा.का.नि. 120(अ).— सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, एतद् द्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग), की अधिसूचना संख्या 24/2015-सीमा शुल्क, दिनांक 8 अप्रैल, 2015, जिसे सा.का.नि. 269(अ), दिनांक 8 अप्रैल, 2015 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (i) में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी संशोधन करती है, यथा:-

उक्त अधिसूचना में,

(क) प्रारंभिक पैराग्राफ में, उपवाक्य (ख) के पश्चात निम्नलिखित परन्तुक को अंतस्थापित किया जाएगा, यथा:-

"बशर्ते की उक्त पर्ची, जिसके विरुद्ध भारत में आयातित माल को उपरोक्त उपवाक्य (क) और उपवाक्य (ख) में उल्लेखित शुल्कों से छूट मिलती है, में विदेश व्यापर नीति के पैरा 3.25 के अनुसार 2% अतिरिक्त तदर्थ प्रोत्साहन के तहत मिलने वाली शुल्क जमा भी शामिल हो सकती है।";

(ख) पैराग्राफ (2) में, शर्त (1), में उपवाक्य (ख) के पश्चात निम्नलिखित परन्तुक को अंतस्थापित किया जाएगा, यथा:-

"बशर्ते की उक्त पर्ची में २% अतिरिक्त तदर्थ प्रोत्साहन के तहत मिलने वाली शुल्क जमा निम्न वस्तुओं के निर्यात के एवज़ में प्रदान किये जाएंगे, नामश:-

(i) मोबाइल फ़ोन, पुश बटन प्रकार के अतिरिक्त; और

(ii) मोबाइल फ़ोन, पुश बटन प्रकार,

जो कि एच एस कोड / टैरिफ आइटम क्रमशः 85171211 और 85171219 के तहत आते हैं और जिनका लेट एक्सपोर्ट आर्डर दिनांक 01.01.2020 से 31.03.2020 तक हो।"

[फा. सं. 605/04/2020-डीबीके]

गोपाल कृष्ण झा, निदेशक (प्रतिअदायगी)

नोट : प्रधान अधिसूचना सं. 24/2015-सीमाशुल्क दिनांक 8 अप्रैल, 2015 सा.का.नि.सं. 269 (अ), दिनांक 8 अप्रैल, 2015 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (i) में प्रकाशित हुआ था और इसमें अंतिम बार संशोधन अधिसूचना सं. 63/2018-सीमा शुल्क, दिनांक 18 सितम्बर, 2019 जिसे सा.का.नि. 892 (अ), दिनांक 18 सितम्बर, 2019 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा किया गया है।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th February, 2020

No. 14/2020–Customs

G.S.R. 120(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India, Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 24/2015-Customs, dated the 8th April, 2015, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Subsection (i), vide number G.S.R. 269 (E), dated the 8th April, 2015, namely:-

In the said notification,-

(a) in the opening paragraph, after clause (b), the following proviso shall be inserted, namely:-

"Provided that the said scrip, against which goods when imported into India are exempted from duties mentioned in clauses (a) and (b) above, may include duty credit provided under the 2% Additional Ad Hoc Incentive in terms of paragraph 3.25 of the Foreign Trade Policy.";

(b) in paragraph 2, in condition (1), after clause (b), the following proviso shall be inserted, namely:-

"Provided that the duty credit in the said scrip under the 2% Additional Ad Hoc Incentive shall be issued against export of following goods, namely:-

(i) Mobile phones, other than push button type; and

(ii) Mobile phones, push button type,

falling under HS Codes/tariff lines 85171211 and 85171219 respectively of ITC (HS) 2017 with let export order dates from the 1st January 2020 to the 31st March 2020. ".

[F. No. 605/04/2020-DBK]

GOPAL KRISHNA JHA, Director (Drawback)

Note : The principal notification No. 24/2015-Customs, dated the 8th April, 2015 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 269 (E), dated the 8th April, 2015 and was last amended vide notification No. 63/2018-Customs, dated the 18th September, 2018, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 892 (E), dated the 18th September, 2018.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. MANOJ KUMAR VERMA
Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA
Date: 2020.02.14 23:07:16 +05'30'